

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012020-215223
CG-DL-E-08012020-215223

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]
No. 108]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2020/पौष 18, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2020/PAUSHA 18, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2020

का.आ. 116(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) ("जिसे इसमें इस अधिसूचना के पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा") की धारा 2 के खंड (10ख) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गमन एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 के अधीन रजिस्ट्रीकृत "निर्गमन एवं/या शेयर अंतरण अभिकर्ता के लिए रजिस्ट्रार" को उक्त अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन केवल संव्यवहार के लिखत के मामले में, क्रमशः प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) के अधीन परिभाषित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अन्यथा "संग्रहकर्ता अभिकर्ता" के रूप में कार्य करने के सीमित प्रयोजनों हेतु बतौर "निक्षेपागार" अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एस-33013/3/2019-एसटी-I, डीओआर-पार्ट-1]

ऋत्विक् पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2020

S.O. 116(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (10B) of section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the “Registrars to an Issue and/or Share Transfer Agents” registered under the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 as a “depository” for the limited purposes of acting as a “collecting agent” under the said Act and the rules made thereunder, only in case of instruments of transaction otherwise than through a recognised stock exchange or depository as defined under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) respectively.

[F. No. S-33013/3/2019-ST-I, DOR-Part-I]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2020

का.आ. 117(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) (“जिसे इसमें इस अधिसूचना के पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा”) की धारा 2 के खंड (27) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक “अभिहित व्यवसाय निधान”, को उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत ‘संग्रहकर्ता अभिकर्ता’ के रूप में कार्य करने के सीमित उद्देश्यों के लिए ‘शेयर बाजार’ (‘स्टॉक एक्सचेंज’) के रूप में अधिसूचित करती हैं।

[फा. सं. एस-33013/3/2019-एसटी-I, डीओआर-पार्ट-I]

ऋत्विक् पाण्डेय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2020

S.O. 117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (27) of section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the Clearing Corporation of India Limited, a “designated trade repository”, under sub-section (2) of section 34A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), as a “stock exchange” for the limited purposes of acting as a “collecting agent” under the said Act and the rules made thereunder.

[F. No. S-33013/3/2019-ST-I, DOR-Part-I]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.